रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 19, 1999/चैत्र 29, 1921
No. 94] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 19, 1999/CHAITRA 29, 1921

SECRETARIAT LIBRARY

मंत्रिमंडल सचिवालय

संकल्प

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1999

सं. 281/29/6/98/टी एस.—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के गठन, भूमिका और कृत्यों का पता लगाने के लिए श्री के0सी0 पंत की अध्यक्षता में अप्रैल, 1998 में एक कृतिक बल (टास्क फोर्स) गठित किया था। इस कृतिक बल (टास्क फोर्स) की सिफारिशों पर विचार किया गया है और केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के गठन का एक संकल्प पारित किया है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

(i)	प्रधानमंत्री	अध्यक्ष;
(ii)	गृहमंत्री	सदस्य;
(iii)	रक्षा मंत्री	सदस्य;
(iv)	विदेश मंत्री	सदस्य;
(v)	वित्त मंत्री	सदस्य; और
(vi)	उपाध्यक्ष, योजना आयोग	सदस्य।

2. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् (जिसे इसमें इसके पश्चात परिषद् कहा गया है), जब कभी आवश्यकता हो, अन्य केन्द्रीय मंत्रियों को अपनी बैठकों में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करेगी। यह अपनी बैठकों में परामर्श के लिए विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर सकेगी।

3. केन्द्रीय सरकार यह मानती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंध के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए समेकित विचारधारा और राष्ट्र के राजनीतिक, सामरिक, राजनयिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संसाधनों को समन्वित रूप से लागू करने की आवश्यकता है। देश के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा को केवल सामरिक रूप से ही नहीं, अपितु आतंरिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, प्रौद्योगिकी क्षमता तथा विदेश नीति के रूप में भी देखा जाना आवश्यक

4. अपनी भूमिका निभाने की दृष्टि से, यह परिषद् विषयान्तर्गत निम्नलिखित मुख्य बातों पर विचार करेगी, अर्थात् –

(क) बाह्य सुरक्षा संबंधी वातावरण और आशंकापूर्ण परिदृश्य;

(ख) सुरक्षा संबंधी आशंका जिनमें परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और उच्च प्रौद्योगिकी संबंधी आशंकाएं भी सम्मिलित हैं;

(ग) विश्व अर्थव्यवस्था के रूझान और ऊर्जा, विदेश व्यापार, खाद्य, वित्त और पारिस्थितिक विज्ञान के क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था सुरक्षा संबंधी आशंकाएं;

(घ) आतंरिक सुरक्षा जिसमें विद्रोह निवारण, आतंकवादरोधी और गुप्त सूचनाओं के आदान-प्रदान को रोकना सम्मिलित हैं;

(ड.) देश में उभर रहे अलगाव के स्वरूप, विशेषकर जो सामाजिक, साम्प्रदायिक या प्रादेशिक आयाम से संबंधित हैं;

(च) सीमा पार होने वाले अपराधों जैसे आयुध, मादक द्रव्य और स्वापक पदार्थो की तस्करी और दुर्व्यापार से उत्पन्न सुरक्षा संबंधी आशंकाएं; और

(छ) सूचना एकत्र करने और आसूचना अभिकरणों के कार्य का समन्वय करना जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आसूचना राष्ट्र-हित संबंधी क्षेत्रों पर केन्द्रित है ।

5. एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् को सचिवालीय सेवा उपलब्ध कराने के माध्यम के रूप में कार्य करेगा । श्री बृजेश मिश्र, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, अपने पदभार के अतिरिक्त, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे ।

6. इस परिषद् की सहायता कूटनीतिक समूह (एस पी जी) करेगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी नीतियां बनाने में अंतर-मंत्रालीय समन्वय और संगत सूचना समेकित करने के लिए मूल तंत्र होगा । कूटनीतिक समूह के प्राथमिकता वाले कार्यों में एक कार्य दीर्घकालिक कूटनीतिक रक्षा संबंधी विषयों का पुनर्विलोकन करना होगा । कूटनीतिक समूह के अध्यक्ष मंत्रिमंडल सचिव होंगे और इसमें निम्नलिखित होंगे :

(i) थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, वायू सेना अध्यक्ष;
(ii) भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर;
(iii) विदेश सचिव;
(iv) गृह सचिव;

(v) वित्त सचिव;
(vi) रक्षा सचिव;
(vii) सचिव, रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग;
(viii) रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार;
(ix) सचिव (आर), मंत्रिमंडल सचिवालय;
(x) सचिव, राजस्व विभाग;
(xi) सचिव, परमाणु उर्जा विभाग;
(xii) सचिव, अंतरिक्ष विभाग;
(xiii) निदेशक, आसूचना ब्यूरो; और
(xiv) सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय

अन्य मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि, जब कभी आवश्यक हो, कूटनीतिक समूह की बैठकों में आमंत्रित किए जा सकते हैं । मंत्रिमंडल सचिव या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समय-समय पर कूटनीतिक समूह की बैठक आयोजित कराने के लिए निदेश दे सकते हैं ।

7. दिसम्बर, 1998 में अनुमोदित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, परिषद् द्वारा इसे सौंपे गए राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषयों पर परिषद् को सलाह देने का कार्य करता रहेगा । इस बोर्ड में एक संयोजक तथा विदेश संबंधी मामलों, बाह्य सुरक्षा, प्रतिरक्षा और सशस्त्र बलों, सामरिक विश्लेषण, अर्थशास्त्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्रों और संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले सरकार से बाहर के अन्य प्रख्यात व्यक्ति सम्मिलित होंगे । राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में संयोजक सहित सदस्यों की अधिकतम संख्या तीस होगी ।

8. (i) इस परिषद् का एक पृथक सचिवालय होगा । विद्यमान संयुक्त आसूचना समिति (जे आईसी) की पुनर्संरचना की जाएगी और उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय होगा । आसूचना विश्लेषण और निर्धारण से संबंधित संयुक्त आसूचना समिति के तत्कालीन कृत्य, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय द्वारा किए जाते रहेंगे ।

(ii) राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर सभी मंत्रालय/विभाग इस सचिवालय से परामर्श करेंगे ।

(iii) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय कूटनीतिक समूह या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के विचारार्थ कागजात तैयार करेगा अथवा तैयार कराएगा ।

(iv) भारत सरकार के सचिव स्तर का एक अधिकारी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय का पदाभिहीत सचिव होगा, इस सचिवालय का प्रमुख होगा ।

(v) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय मंत्रिमंडल सचिवालय में अवस्थित होगा तथा कूटनीतिक समूह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड को सचिवालीय सेवाएं उपलब्ध कराएगा ।

9. यह संकल्प, इस विषय पर पहले जारी किए गए भारत सरकार के संकल्प सं0 50/4/18/88-टीएस तारीख 24 अगस्त, 1990 और मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्यालय ज्ञापन सं0 50/4/5/95-टीएस तारीख 6 जून, 1995 को अधिक्रांत करता है ।

प्रभात कुमार, मंत्रिमं ल सचिव

CABINET SECRETARIAT

RESOLUTION

New Delhi, the 16th April, 1999

No. 281/29/6/98/TS.— The Central Government had set up in April, 1998 a Task Force under the Chairmanship of Shri K.C.Pant to work out the constitution, role and functions of a National Security Council. The recommendations of the Task Force have been considered and the Central Government has resolved to hereby constitute the National Security Council (NSC), consisting of :

(i)	Prime Minister	Chairman;
(ii)	Minister of Home Affairs	Member;
(iii)	Minister of Defence	Member;
(iv)	Minister of External Affairs	Member;
(v)	Minister of Finance	Member; and
(vi)	Deputy Chairman, Planning Commission	Member.

2. The National Security Council (hereinafter referred to as the Council) shall, as and when necessary, invite other Union Ministers to attend its meetings. It may also invite experts and specialists to its meetings for consultation.

3. The Central Government recognizes that national security management requires integrated thinking and co-ordinated application of the political, military, diplomatic, scientific and technological resources of the State to protect and promote national security goals and objectives. National security in

the context of the nation needs to be viewed not only in military terms, but also in terms of internal security, economic security, technological strength and foreign policy. The role of the Council is to advise the Central Government on the said matters.

4. With a view to fulfilling its role, the Council shall deal with the following broad subject areas, namely:-

(a) external security environment and threat scenario;

(b) security threats involving atomic energy, space and high technology;

(c) trends in the world economy and economy security threats in the areas of energy, foreign trade, food, finance and ecology;

(d) internal security, including counter-insurgency, counter-terrorism and counter-intelligence;

(e) patterns of alienation emerging in the country, especially those with a social, communal or regional dimension;

(f) security threats posed by trans-border crimes such as smuggling and traffic in arms, drugs and narcotics; and

(g) co-ordination in intelligence collection and tasking of intelligence agencies so as to ensure that intelligence is focussed on areas of concern for the nation.

5. The Council shall have a National Security Adviser who shall function as the channel for servicing the National Security Council. Shri Brajesh Mishra, Principal Secretary to the Prime Minister shall, in addition to his duties as the Principal Secretary to the Prime Minister, act as the National Security Adviser.

6. The Council shall be assisted by the Strategic Policy Group (SPG) which will be the principal mechanism for inter-ministerial coordination and integration of relevant inputs in the formulation of national security policies. One of the priority tasks of the SPG will be to undertake the long-term strategic defence review. The SPG will be chaired by the Cabinet Secretary and shall consist of:-

(i) Chief of the Army Staff, Chief of the Naval Staff and Chief of the Air Staff;
(ii) Governor of the Reserve Bank of India;
(iii) Foreign Secretary;
(iv) Home Secretary;
(v) Finance Secretary;
(vi) Defence Secretary;
(vii) Secretary, Department of Defence Production and Supplies;
(viii) Scientific Adviser to Raksha Mantri;
(ix) Secretary (R), Cabinet Secretariat;
(x) Secretary, Department of Revenue;
(xi) Secretary, Department of Atomic Energy;
(xii) Secretary, Department of Space;
(xiii) Director, Intelligence Bureau; and
(xiv) Secretary, National Security Council Secretariat.

Representatives of other Ministries/Departments may be invited to SPG meetings, as and when necessary. The Cabinet Secretary or the National

Security Adviser may direct for the convening of the meetings of the SPG from time to time.

7. The National Security Advisory Board (NSAB) approved in December 1998 is to advise the Council on issues relating to national security which may be referred to it by the Council may continue to function. The Board consists of a Convenor and other persons of eminence outside the Government with expertise in the fields of foreign affairs, external security, defence and armed forces, strategic analysis, economics, science and technology, internal security, and related areas. The maximum number of members of the NSAB including the Convenor shall be thirty.

8. (i) The Council shall have a separate Secretariat. The existing Joint Intelligence Committee (JIC) will be re-structured and renamed as the National Security Council Secretariat (NSCS). The erstwhile functions of the JIC relating to intelligence analysis and assessment shall continue to be performed by the NSCS.

(ii) All Ministries/Departments shall consult the Secretariat on matters having a bearing on national security.

(iii) The NSCS will prepare or cause to be prepared papers for consideration of the SPG or the NSC.

(iv) An officer of the level of Secretary to the Government of India, designated as Secretary, NSCS, will head the Secretariat.

(v) The NSCS will be located in the Cabinet Secretariat and will also service the SPG and the NSAB.

9. This supersedes the resolution of the Government of India No. 50/4/18/88-TS dated 24th August, 1990 and Cabinet Secretariat Office Memorandum No.50/4/5/95-TS dated 6th June, 1995 on the subject.

PRABHAT KUMAR, Cabinet Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054